Setting up of a committee to review control of Government expenditure

@*225-A. SHRI BEKAL UTSAHI; Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have recent ly set up a high level Committee of Se cretaries headed by the Cabinet Secretary to review control of expenditure;

(b). if so, what are the terms and conditions of the Committee; and

(c) by when the Committee is likely to submit its report?

THE" MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF EXPENDITURE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI B. K. GADHVI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The Group shall suggest ways and means of controlling the expen diture and also the procedure to be fol lowed in the current fiscal year 1988-89 to avoid any deterioration in the overall budgetary situation. The Group shall submit their findings to the Cabinet Com mittee on Expenditure within six weeks. The Group shall also make recommendations over the subsequent months which could help to contain expenditure in 1989-90.

उत्तर प्रदेश-बिहार सीमा-विवाद के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय

*226. **श्री अश्विनी कुमार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच सीमा-विवाद के संबंध में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा हाल में दिए गए निर्णय की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या न्यायालय के निर्णय का उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है ; और

©Previously Starred Question 267, transferred from the 12th May, 1988.

(घ) क्या यह सच है कि निर्णय का सही ढंग से अनुपालन न किये जाने के कारण फसल की कटाई के हाल के मौसम के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई है और यह किसी भी समय भड़क सकती है ?

गृह मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) स्पष्टतः यह संदर्भ बिहार तथा उत्तर प्रदेश (सीमा परिवर्तन) अधिनियम, 1968 से संबंधित एक मामले में रामबदन राय तथा अन्यों द्वारा दायर की गई रिट याचिका संख्या 10266/86 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 25 फरवरी, 1988 को दिए गए निर्णय के बारे में है । न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार के दिनांक 10-10-1985 के पत्र के वकील नियुक्त करने का निषेध करने तथा मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने से संबंधित भाग को रद्द कर दिया और याचिका दायर कर्ताओं द्वारा शेष राहत हेतु किए गए दावों को नकार दिया ।

(ग) और (घ) संबंधित राज्य सरकारों से इस बारे में सूचना अभी आनी है ।

Under-trial prisoners

*227. SHRI S. S. AHLUWALIA: SHRIMATI KAILASHPATI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what was the number of under-trial prisoners as on 31st December, 1985, 31st December, 1986 and 31st December, 1987 Union Territorywise and how many of them were female under-trial prisoners;

(b) what was the number of lunatics' and minor under-trials on the above dates, Union Territorywise; and

(c) how many under-trials among them are lodged in the jails for more than six months and how many among them for less than six months?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI BUTA SINGH); (a) to (c) The requisite information on receipt from the various Union Territory Admns, shall be placed on the Table of the House.